



जोधपुर नगर निगम

शुद्ध मनः शरणागत 2017

500 वर्गमीटर (600 वर्गगज) तक के आवासीय भूखण्ड में भवन निर्माण करने से पूर्व नगर निगम को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194/7/घ में प्रस्तुत किया जाने वाले प्रपत्र का प्रारूप

आवेदक द्वारा भरा जायेगा

आयुक्त

जोधपुर नगर निगम

विषय: आवासीय भवन निर्माण अनुमति हेतु।

वार्ड सं.

क्षेत्र

महोदय,

निवेदन है कि मैं/हम अपने स्वामित्व के भूखण्ड पर नीचे दर्ज विवरण अनुसार आवासीय नव निर्माण/पुनः निर्माण/ परिवर्तन/परिवर्धन करना चाहता हूँ/चाहते हैं। इसके लिए दस्तावेज संलग्न है। पया निर्माण की अनुमति दिलाने का श्रम करें।

1. प्रार्थी का नाम

2. पिता/पति का नाम

3. प्रस्तावित भवन निर्माण, पुनः निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन की स्थिति/स्थान

स्वर्भण्डपवद व भिन्नवर्धनक ब्यदेजतनबजपवद

4. (अ) भूखण्ड का क्षेत्रफल

वर्गमीटर

(ब) क्या प्रस्तावित निर्माण प्रथम तल तक है

हाँ/नहीं

(स) क्या प्रस्तावित निर्माण एकल ईकाई तक का है।

हाँ/नहीं

5. (अ) प्रस्तावित नक्शा ब्लू प्रिंट 6 प्रति मय हस्ताक्षर

(ब) प्रस्तावित नक्शा ट्रैसिंग पेपर 1 प्रति मय हस्ताक्षर

6. प्रस्तावित निर्माण का विवरण

(अ) मू तल का निर्माण क्षेत्रफल

वर्गगज

(ब) प्रथम तल का निर्माण क्षेत्रफल

वर्गगज

कुल निर्माण क्षेत्रफल

वर्गगज

7. उप विभाजन/संयुक्तीकरण

8. स्वामित्व संबंधी पूर्ण दस्तावेज (पट्टा, रजिस्ट्री, लीजडीड) दस्तावेजों का असल से मिलान करने के लिये एवं

स्वामित्व के संबंध में सस्त प्रकार की जिम्मेदारी मुझ आवेद की होगी।

9. क्या प्रस्तावित निर्माण को भिन्न-भिन्न रंगों से दर्शित कर दिया गया है।

हाँ/नहीं

10. (अ) रजिस्ट्रिकृत व अनुमोदन नक्शा नवीस वास्तुकार के हस्ताक्षर नक्शे पर है।

हाँ/नहीं

(ब) शपथ पत्र संलग्न

हाँ/नहीं

11. प्रस्तावित भवन निर्माण के नक्शे में मेरे स्वामित्व के अतिरिक्त किसी प्रकार की सरकार अथवा सार्वजनिक भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया है।

12. मेरे स्वामित्व की भूमि विवाद रहित है एवं समस्त प्रकार के विवादों की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

13. जमा राशि: स्व निर्धारण शुल्क के रूप में निम्नानुसार राशि रुपये

दिनांक

द्वारा निर्माण शुल्क के रूप में जमा कराये जा चुके हैं। स्व निर्धारण हेतु प्रावधानों की

जानकारी के लिए कृपया पीछे निर्देश पढ़ें। शेष राशि, यदि कोई निकलेगी, तो जमा करा दी जायेगी।

14. उपरोक्त वर्णित समस्त प्रविष्टियों के सत्यापन हेतु 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न है।

स्वनिर्धारण राशि का विवरण

क्रम संख्या 1 से 5 तक के शुल्क की गणना प्लॉट के क्षेत्रफल पर की जायेगी।

1. निर्माण अनुमति शुल्क क्षेत्रफल वर्गज X10= रू.
2. विकास शुल्क/साधारण शुल्क X25= रू.
3. उप विभाजन शुल्क X10= रू.
4. हस्तान्तरण शुल्क 5 प्रतिशत आरक्षित दर रू.
5. धरोहर राशि (1500/2000 रू.) रू.
6. आवेदन शुल्क रू.
7. मलबा शुल्क रू.

कुल राशि

नोट:-

1. यदि प्रार्थी भूखण्ड का एकमात्र मालिक नहीं है तो क्या सभी मालिकों के नाम मय पूर्ण पते तथा प्रस्तावित निर्माण हेतु उनके सहमति पत्र की संलग्न है।
हाँ/नहीं
2. यदि भूखण्ड पर पूर्व से कोई निर्माण किया हुआ है तो वास्तविक निर्माण का नक्शा तथा प्रत्येक तल-वार निर्मित क्षेत्र का विवरण भी पेश करना होगा।
3. यदि भूखण्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल से प्राप्त किया है तो आवंटन दस्तावेज/लाईसंस/सैटबैक प्लान आदि पेश करें।
4. यदि पूर्व में निगम से इस तरह की अनुमति प्राप्त की गई तो प्रति संलग्न करें।
5. यदि भूखण्ड सब-डिवीजन द्वारा लिया हो तो स्वीकृत सब-डिवीजन प्लान की प्रति संलग्न करें।
6. प्रार्थी स्वामित्व संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेज पेश करेंगा।
7. उपरोक्त वर्णित तथ्यों में कोई तथ्य छुपाया नहीं है।

दिनांक:

हस्ताक्षर आवेदक

नाम:
वर्तमान पता:
.....
.....
मोबाइल नं.
ई-मेल

स्वनिर्धारण राशि गणना संबंधी प्रावधान:-

1. निर्माण अनुमति शुल्क
अ. 10/- प्रति वर्गज/न्यूनतम राशि 500 रू.
2. सब डिवीजन शुल्क
(यह शुल्क सब डिवीजन प्रार्थी/विक्रेता के स्वयं स्तर पर ही करने की स्थिति में लागू होगा)
3. धरोहर राशि
1000 रुपये 200 वर्गज तक
2000 रुपये 200 वर्गज तक
4. हस्तान्तरण शुल्क: मूल टाईटल से खरीद किया है तो।